न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/427

सोहन लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

कालू आत्मज मोती जाति मीणा निवासी कांजरी सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सूर्यकान्त वशिष्ट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम कांजरी सीलोर तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 286/225 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 288/226 रकबा 01 बीघा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 283/55 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादी उक्त भूमि को बहैसित खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी वह वादी के खाते की आराजी पर आकर उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार से डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप दखलन्दाजी नहीं करे, जबरन कब्जा करने की चेष्ठा नहीं करे और उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादी कब्जा कर ले तो अदेशात्मक आज्ञा द्वारा बेदखल किया जावे ।

4. प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण कायम तनकीयात में लम्बित था । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी में से 01 बीघा कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट वादी ने दिनांक 08.11.1992 को अपीलान्ट को 26,000/– रूपये की प्रतिफल राशि में बेचान कर दिया था तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्त करता चला आ रहा है । धारा 53 (अ) सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्ट को भूमि पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट वादी के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बाबत् सिविल न्यायालय में विशिष्ट अनुपालना व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है जिसमें रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । वादी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं । रिकॉर्डेड खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया है । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं । उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होकर एजरज करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया । प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया और पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा